# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डार,(स0मा0)

पीठासीन अधिकारी:– ज्योत्सना खेड़ा (आर.ए.एस.)

| मुकदमा नम्बर | तारीख रजू | तारीख निर्णय |
| --- | --- | --- |
| 09 / 2018 | 16.07.2018 | 03.09.2025 |

1. मुकेश पुत्र रामफूल जाति जाट निवासी बहरावण्डा कलां तहसील खण्डार जिला स0मा0।

प्रार्थी

बनाम

1. कृपाल पुत्र मथुरा जाति जाट निवासी बहरावण्डा कलां तहसील खण्डार जिला स0मा0।
2. लालवीर उर्फ काड़ा पुत्र कृपाल जाति जाट निवासी बहरावण्डा कलां तहसील खण्डार जिला स0मा0।
3. महावीर पुत्र कृपाल जाति जाट निवासी बहरावण्डा कलां तहसील खण्डार जिला स0मा0।
4. बर्फी पत्नि कृपाल जाति जाट निवासी बहरावण्डा कलां तहसील खण्डार जिला स0मा0।

अप्रार्थीगण

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम**

उपस्थिति :–

श्री रमेश चन्द गौत्तम वकील प्रार्थी की ओर से
श्री रमेश चन्द तेहरिया अप्रार्थीगण की ओर से

## निर्णय

1. प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का इस आशय का पेंश किया गया। जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है।

- उक्त उनवानी प्रकरण आज ही श्रीमान न्यायालय मे पेश कर दिया है जिसमें प्रार्थी को सफलता की पूरी–पूरी उम्मीद है।
- प्रार्थी ग्रम बहरावण्डा कलां का निवासी है और अपनी खातेदारी भूमि पर काश्त कर जीवन यापन करता आ रहा है।
- प्रार्थी बहरावण्डा कलां का निवासी है जिसकी खातेदारी कब्जा काश्त की भूमि खसरा नम्बर 399 रकबा 2–02 बीघा ग्राम बहरावण्डा कलां में स्थित है। जिस पर अपने बुजुर्गान के समय से निरन्तर कब्जा काश्त करता चला आ रहा है।
- प्रार्थी व अप्रार्थीगण के बीच कभी विवाद न[illegible] अप्रार्थीगण की अचानक नियत खराब हो गई और प्रार्थी की खातेदारी कब्जा काश्त की आराजी [illegible] 399 भूमि पर जबरन कब्जा करना चाहते है।
- दिनांक 02.06.2018 को वर्षात आने से प्रार्थी अपनी उक्त भूमि [illegible] लगाने गया तो अप्रार्थीगण हाथों लाठी, गण्डासी लेकर खडे थें और प्रार्थी को [illegible]ने खातेदारी कब्जे काश्त की खातेदारी भूमि में जाने से रोक दिया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jyotsna Khera
Date: 2025.09.18 13:44:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
खण्डार (स0 मा0)

- दिनांक 12.06.2018 को दुबारा अपनी खातेदारी की भूमि की जोत करने गया तो अप्रार्थीगण ने दुबारा रोका और जान से मारने की धमकी दी, जिस कारण विनाय दावा उत्पन्न हुआ। इस कारण यह प्रार्थना पत्र अस्थयी पेश करना लाजिमी आया।
- प्रथम दृष्टया केस व सुख सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है।
- अपूर्णनीय क्षति के बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित है।
- प्रार्थना पत्र की सुनवाई का श्रीमान जी को क्षेत्राधिकार प्राप्त है।
- अतः अप्रार्थीगणो का अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि प्रार्थी की खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि आराजी खसरा नम्बर 399 रकबा 2–02 बीघा वांके ग्रम बहरावण्डा कलां पर अप्रार्थीगण किसी प्रकार का कब्जा ना तो स्वयं करें ना ही अन्य से करावे तथा अप्रार्थीगण उक्त आराजीयात में प्रार्थी को काश्त करने से ना तो स्वयं रोंके और ना ही किसी प्रकार से किसी दीगर व्यक्ति या नौकर एजेन्ट व प्रतिनिधी से व्यवधान उत्पन्न करावें।

2. प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को कार्यालय रिपोर्ट उपरान्त दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगणों को जर्ये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया।
3. अप्रार्थीगणों की ओर से प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में जबाव प्रस्तुत किया गया। जिसमें प्रार्थना पत्र के सभी बिन्दुओं को अस्वीकार किया गया ओर विशेष विवरण में अंकित किया गया है। प्रार्थी ने पुराने खते जो कि गिरवी से छुडया मय ब्याज के रकब अदी की थी। उसकी पुरानी रजिस से उक्त प्रार्थना पत्र झूठा पेश किया है जो की खारिज फरमाने योग्य है। आराजी खसरा नम्बर 399 रकबा 2–02 बीघा वांके ग्राम बहरावण्डा कलां में स्थित है जो कि प्रार्थी के पिता के नाम खातेदारी मेरे पिता ने स्वेच्छा से अधिक जमीन होने से नाम करवा दी थी सयोग वश बाहमी बटवारें में उक्त आराजी मेरे बंट में आ गई थी। दुर्भाग्यवश कुछ दिन प्रार्थी के पिता का देहान्त हो गया था जिसका नामान्तकरण प्रार्थी के नाम खुल गया था जो कि हैरान परेशान करने की गरज से झूठा पेश किया है। उक्त आराजी पर 30–40 वर्षो से अप्रार्थीगण का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी का उक्त आराजी से कोई लेना–देना नहीं है। प्रार्थी को उक्त विवादित आराजी पर कभी कब्जा काश्त नहीं रहा और ना ही वर्तमान में कब्जा काश्त है। उक्त आरजी से सम्बन्धित पंचनामा परिवार वालों व गांव वालों ने लिखकर दे रखा है। अतः अप्रार्थीगण का जबाव प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जे खर्चे के खारिज फरमाया जावें
4. प्रार्थी वकील द्वारा पत्रावली में अपने द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार बहस करते हुए अवगत कराया गया है कि प्रार्थी बहरावण्डा कलां का निवासी है जिसकी खातेदारी कब्जा काश्त की भूमि खसरा नम्बर 399 रकबा 2–02 बीघा ग्राम बहरावण्डा कलां में स्थित है। जिस पर अपने बुजुर्गान के समय से निरन्तर कब्जा काश्त करता चला आ रहा है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण के बीच कभी विवाद नहीं था। अप्रार्थीगण की अचानक नियत खराब हो गई और प्रार्थी की खातेदारी कब्जा काश्त की आराजी खसरा नम्बर 399 भूमि पर जबरन कब्जा करना चाहते है। प्रार्थी दिनांक 02.06.2018 व दिनांक 12.06.2018 को अपनी खातेदारी की भूमि की जोत करने गया तो अप्रार्थीगण ने रोका और जान से मारने की धमकी दी, जिस कारण विनाय दावा उत्पन्न हुआ। प्रथम दृष्टया केस सुख सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णनीय क्षति के बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित है। प्रार्थना पत्र की सुनवाई का श्रीमान जी को क्षेत्राधिकार प्राप्त है। अप्रार्थीगणो का अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि प्रार्थी की खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि आराजी खसरा नम्बर 399 रकबा 2–02 बीघा वांके ग्रम बहरावण्डा कलां पर अप्रार्थीगण किसी प्रकार का कब्जा ना तो स्वयं करें ना ही अन्य से

Signature Not Verified
Digitally signed by Jyotsna Khera
Date: 2025.09.18 13:44:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
खण्डार (स० मा०)

करावे तथा अप्रार्थीगण उक्त आराजीयात में प्रार्थी को काश्त करने से ना तो स्वयं रोके और ना ही किसी प्रकार से किसी दीगर व्यक्ति या नौकर एजेन्ट व प्रतिनिधी से व्यवधान उत्पन्न करावें।

5. अप्रार्थीगण वकील द्वारा पत्रावली में अपने द्वारा प्रस्तुत जबाव प्रार्थना पत्र के अनुसार बहस करते हुए अवगत कराया गया है कि प्रार्थी ने पुराने खते जो कि गिरवी से छुडवाया मय ब्याज के रकब अदी की थी। उसकी पुरानी रजिस से उक्त प्रार्थना पत्र झूठा पेश किया है जो की खारिज फरमाने योग्य है। आराजी खसरा नम्बर 399 रकबा 2–02 बीघा वांके ग्राम बहरावण्डा कलां में स्थित है जो कि प्रार्थी के पिता के नाम खातेदारी मेरे पिता ने स्वेच्छा से अधिक जमीन होने से नाम करवा दी थी सयोग वश बाहमी बटवारें में उक्त आराजी मेरे बंट में आ गई थी। दुर्भाग्यवश कुछ दिन प्रार्थी के पिता का देहान्त हो गया था जिसका नामान्तकरण प्रार्थी के नाम खुल गया था जो कि हैरान परेशान करने की गरज से झूठा पेश किया है। उक्त आराजी पर 30–40 वर्षो से अप्रार्थीगण का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी का उक्त आराजी से कोई लेना–देना नहीं है। प्रार्थी को उक्त विवादित आराजी पर कभी कब्जा काश्त नहीं रहा और ना ही वर्तमान में कब्जा काश्त है। उक्त आरजी से सम्बन्धित पंचनामा परिवार वालों व गांव वालों ने लिखकर दे रखा है। अतः अप्रार्थीगण का जबाव प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जे खर्चे के खारिज फरमाया जावें

6. पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया, बहस वकील उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली में संलग्न मौजूदा ग्राम बहरावण्डा कलां की जमाबन्दी सम्बत 2073–2076 खसरा नम्बर 399 में प्रार्थी की खातेदारी भूमि अंकित है। प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि पर कब्जे काश्त के सम्बन्ध में ऐसा कोई वैध दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाये गये जिससे प्रार्थी का उक्त विवादित भूमि पर कभी कब्जा रहा हूं तथा प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होता है एवं सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णनीय क्षति भी प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होती है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

## आदेश

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्वीकार किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 03.09.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में लिखाया जाकर, सुनाया गया ।

(ज्योत्सना खेड़ा)
उपखण्ड अधिकारी
खण्डार (स.मा.)

उपखण्ड अधिकारी
खण्डार (स० मा०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Jyotsna Khera
Date: 2025.09.18 13:44:41 IST
Reason: SelfAttested